College Rules/Guidelines

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की शर्ते

केवल वे ही छात्र विश्वद्यिालय की परीक्षाओं में बैठने योग्य होंगे जो निम्न शर्ते पूरी करेंगे :–

1. सभी विषयों में व्याख्यानों की संख्या 75 प्रतिशत हो । व्याख्यानों की गिनती परीक्षा तैयारी अवकाश के प्रारम्भ होने तक की जाएगी ।

2. Class Test / मासिक परीक्षाओं में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धरित पात्रता रखते हों ।

गृह परीक्षाएं

Assignment/Class Test तथा आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) के निर्धरित अंकों के संदर्भ में सी.आर.एस.यू. जीन्द एवं उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के नवीनतम दिशा–निर्देश लागू होंगें ।

स्थानानन्तरण (Migration)

1. दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुमोदित तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति होने पर छात्र/छात्रा वर्ष में किसी भी समय एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानान्तरण कर सकते हैं।

2. एक ही नगर में स्थित एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

अवकाश सम्बन्धी नियम (Leave Rules)

1. पाँच दिन तक के अवकाश की स्वीकृति ट्यूटर दे सकता है ।

2. 5 दिन से 10 दिन तक के अवकाश की स्वीकृति ट्यूटर की सिफारिश पर वरिष्ठ ट्यूटर दे सकता है।

3. दस दिन से अधिक का अवकाश वरिष्ठ ट्यूटर की सिफारिश पर प्राचार्य महोदय प्रदान करेंगे।

4. सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति अग्रिम लेनी होगी, लेकिन बीमारी या विशेष परिस्थिति में एक सप्ताह की अवधि में आवेदन अवश्य करना होगा ।

5. सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अवकाश पत्र फीस लिपिक के पास जमा करवाना होगा ।

नोट : बीमारी की अवस्था में चिकित्सा का प्रमाण–पत्र संलग्न करें ।

दण्ड (Fines)

1. फीस समय पर जमा न करने की स्थिति में (जो तिथियां प्राचार्य द्वारा निर्धरित की जाती है) दो रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। सम्बद्ध तिथि के अन्तिम दिन तक फीस तथा जुर्माना न जमा करवाने वाले छात्र का नाम काट दिया जाएगा । पुनः प्रवेश के लिए विद्यार्थी को 500 रूपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा । पुनः प्रवेश की अनुमति प्राचार्य से लेनी होगी ।
2. पीरियड में अनुपस्थित रहने वाले छात्र को जुर्माना निम्न प्रकार से होगा ।

एक पीरियड	2 रूपया	ट्यूटोरियल पीरियड	5 रूपया	पूरे दिन	5 रूपये

3. महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाले छात्र को दण्डित किया जाएगा, जिसकी राशि हानि की मात्रा के आधार पर प्राचार्य द्वारा निश्चित की जाएगी ।

4. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाना, अनुशासन भंग करना तथा प्राध्यापक वर्ग/महाविद्यालय के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले छात्र को दण्ड दिया जाएगा । यह दण्ड धनराशि अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में ही हो सकता है।

5. लगातार सात दिन तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र का नाम काट दिया जाएगा । ऐसे विद्यार्थी को प्राचार्य की विशेष अनुमति से नियमानुसार पुनः प्रवेश दिया जा सकता है ।

6. महाविद्यालय के विशेष कार्यक्रमों में विद्यार्थी की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा । (जैसे–वार्षिक समारोह, छोटू राम जयन्ती, वार्षिक खेल–कूद प्रतियोगिता, दीक्षांत समारोह आदि)

नोटः– प्रत्येक महीने की जुर्माना सूची आगामी महीने के प्रथम सप्ताह में सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। इस सम्बंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह सूचना के तीन दिन के अन्दर–अन्दर प्राचार्य महोदय को आवेदन कर सकता है।

छात्रवृत्ति

1. हरियाणा राज्य मैरिट छात्रावृत्तियां (कोई आय सीमा नहीं)

इस स्कीम के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के 10+2 के मैरिट परिणाम के आधर पर 500 विद्यार्थियों को रुपये 3600/– प्रतिवर्ष की छात्रावृत्ति दी जाती है । सम्बन्धित संस्था के द्वारा योग्य छात्रों के फार्म निदेशालय को भेजे जाते हैं और इसी स्कीम के तहत बी.ए. 111/बी.काम. 111/बी.एस.सी. 111/एम.ए./ बी.एड./एम.एस.सी. 11/एम0काम0 11 सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिणाम के आधर पर 205 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । इस स्कीम के तहत नवीकरण छात्रवृत्ति भी दी जाती है ।

5. अल्प आय हेतु छात्रावृत्ति योजना

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य समाज के उन अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता पहुंचाना है जो कि सरकार की वित्तीय मदद के बिना अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते । ऐसे विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2,50,000/– रुपये हो, वे इस योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

6. राज्य (शिक्षा) कल्याण स्कीम/विमुक्त जातियां एवं टपरीवास छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना तथा शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति करना । छात्रवृत्ति हेतु पात्रता

10+2/बी0ए0 111/बी0एस0सी0 111/बी0काम0 111 (वार्षिक आय सीमा सभी स्त्रोतों से रुपये 5000/– विमुक्त जातियों एवं टपरीवास विद्यार्थियों के लिए)

इस स्कीम के तहत विद्यार्थी को 100/– रु0 प्रति माह स्टाईपफण्ड के अतिरिक्त ट्यूशन फीस और परीक्षा फीस का भुगतान भी किया जाता है।

7. स्वतन्त्राता सेनानियों पर आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति

उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार स्वतन्त्रता सेनानी के आश्रितों को 1000 रु0 प्रति माह छात्रवृत्ति व 2000 पुस्तकों हेतु प्रति वर्ष सहायता के रुप में दिए जायेंगें ।

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

प्रत्येक विद्यार्थी से आशा की जाती है कि वह अनुशासनात्मक ढंग से आचरण करते हुए कॉलेज के निम्नलिखित नियमों और मानदण्डों का पालन करेगा :–

1. प्रत्येक विद्यार्थी अपना परिचय पत्र/पुस्तकालय पत्र हमेशा अपने साथ रखें, मांग करने पर उसे प्रस्तुत करें। यह हर तरह से पूर्ण होना चाहिए ।

2. अभद्र आचरण, कक्षा लगी होने पर बरामदें में बातें करना, शोर मचाना, डैस्क, मेज दीवार आदि को खराब करना तथा कोई अन्य अनुशासनहीनता का कार्य करना सभी दण्डनीय अपराध हैं।

3. अपने महाविद्यालय के प्रांगण को सदा साफ रखें। निरूद्देश्य ना घूमे। फूलों पौधें आदि को न तोड़े।

4. खाली समय का सदुपयोग करें। पुस्तकालय में बैठ कर पढ़ें, ज्ञान का भण्डार सदैव खुला है। कॉलेज परिसर में धूम्रपान वर्जित है।

5. हर रोज सूचना पट्ट को पढ़ने की आदत डालें। प्राचार्य की अनुमति के बिना कोई भी विद्यार्थी सूचना पट्ट पर सूचना प्रदर्शित नहीं करेगा।

6. फीसों की अदायगी, छात्रवृत्तियां, जुर्माना, आदि के विषय में परिचायिका अवश्य पढ़ लें।

7. निर्धारित समय पर कॉलेज में आएं ।

8. आपका ट्यूटर आपका अभिभावक है। आपकी कोई समस्या यदि है तो उनसे सम्पर्क करें । प्राचार्य को कोई शिकायत पहुंचानी है तो वह भी ट्यूटर के माध्यम से ही पहुंचाएं ।

9. सुझाव पेटिका में अपने बहुमूल्य तथा रचनात्मक सुझाव अवश्य डालें।

10. प्राचार्य प्रदत्त निर्णय अन्तिम तथा सर्वमान्य होगा ।

11. महाविद्यालय की दीवारों, फर्नीचर या ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना अपराध है।

12. महाविद्यालय की चार दीवारी के भीतर शराब पीना तथा किसी प्रकार के इश्तिहार या नोटिस लगाना वर्जित है।

13. महाविद्यालय में मोबाइल फोन का प्रयोग सर्वथा वर्जित है । फोन बजने या उस पर बात करने वाले विद्यार्थी का फोन जब्त होने के साथ–2 जुर्माना भी लगेगा ।

14. सभी एस.सी., बी.सी. विद्यार्थियों का प्रतिदिन बायोमैट्रिक हाजिरी लगाना आवश्यक है अन्यथा वे स्कालरशिप के अधिकारी नहीं होंगें । लेकिन वे इस उपस्थिति को कक्षा या कालेज फंक्शन की उपस्थिति न समझें ।

प्राचार्य के अधिकार

1. प्राचार्य को महाविद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए समस्त कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के सभी अधिकार प्राप्त हैं। उनके ये अधिकार प्रवेश, अवरोध तथा अनुशानात्मक कार्यवाही से संबंधित विषयों में अपने आप में परिपूर्ण हैं।

2. प्राचार्य यदि उचित समझे तो संस्था के हित में नियमों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकते हैं।

रैगिंग दण्डनीय अपराध

महाविद्यालय में रैगिंग रोकने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है । यह कमेटी रैगिंग की घटना प्रकाश में आने पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए दोषी को दण्ड देने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी । दाखिला फार्म के साथ रैगिंग फार्म भरना अनिवार्य है ।